1335 (S)
21.2.13

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः— बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति, 2013 ।

राज्य सरकार का आशय है कि सड़क संरचनाओं का एक ऐसा सुगम जाल बिछाया जाए कि राज्य के किसी भी कोने से पटना की यात्रा 6 घंटे के भीतर संभव की जा सके तथा वर्ष 2015 तक यह देश के सर्वोत्तम सड़क नेटवर्कों के अनुरूप हो सके। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा विगत छः वर्षों में सड़क निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिसके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर सड़कों एवं पुलों का निर्माण एवं उन्नयन हुआ है। राज्य में एक लाख किलोमीटर से ज्यादा लम्बी सड़कों का जाल बिछाये जाने के चलते शिक्षा, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में भी पर्याप्त सकारात्मक बदलाव आया है। सरकार का आशय भविष्य में भी बड़े पैमाने पर सड़कों तथा पुलों का निर्माण एवं उन्नयन के साथ गति बनाये रखना है।

ऐसी विशाल पथ अवसंरचना का समयोचित एवं कारगर संधारण का काफी महत्व हो जाता है। आस्तियों के अपर्याप्त अनुरक्षण के फलस्वरूप आवागमन बाधित होता है, आर्थिक उत्पादन एवं अन्य गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं तथा वाहनों के संचालन के व्यय में भी अनावश्यक वृद्धि होती है। निर्मित एवं निर्माणाधीन पथ संरचनाओं की पूर्ण उपयोगिता हेतु इनका सही एवं ससमय रख–रखाव आवश्यक है। इस प्रयोजनार्थ पथ संरचनाओं के अनुरक्षण एवं मरम्मति के लिए एक कारगर अनुरक्षण नीति आवश्यक है। तदनुसार राज्य सरकार बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति के रूप में निम्नलिखित नीति अंगीकार करती है –

भारत के संविधान के अनुच्छेद–39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद् द्वारा निम्नलिखित राज्य नीति अधिसूचित करती हैः—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ**—(1) यह नीति **"बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति, 2013"** कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **अनुरक्षण कार्य के प्रकार**—पथ संरचना के संपूर्ण निरूपित जीवन काल के दौरान उनपर निम्न प्रकार के मरम्मति/संधारण कार्य कराये जायेंगे :—
   (i) नियमित/साधारण संधारण (मौनसून पूर्व एवं मौनसून बाद के कार्यों की पहचान विनिर्दिष्ट रूप से की जाएगी),
   (ii) सावधिक अनुरक्षण,
   (iii) विशेष मरम्मति एवं
   (iv) आपातकालीन मरम्मति।

3. **वर्त्तमान व्यवस्था**—पथ संरचनाओं के अनुरक्षण कार्यों के लिए सामान्यतः input based संविदा प्रणाली अपनायी जाती है। इस प्रणाली में तकनीकी विभागों द्वारा नियत विशिष्टियों एवं मात्रा के अनुसार, संवेदक द्वारा कार्य सम्पादित किया जाता है एवं ऐसे कार्यों का भुगतान पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर किया जाता है।

4. **नई व्यवस्था**—वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत मौजूदा पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु व्यापक, दीर्घ कालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा प्रणाली (Long term output and performance based road asset maintenance contract) अंगीकार की जायगी। इससे लम्बी अवधि तक पथ आस्तियों का संरक्षण हो सकेगा । दीर्घकालीन अनुरक्षण की संविदा सामान्यतः पाँच/नौ वर्षों की अवधि के लिए होगी। आवश्यकतानुसार संविदा की अवधि भिन्न भी हो सकती है। अनुरक्षण कार्य का निष्पादन संतोषजनक होने की स्थिति में, संविदा विस्तारित की जा सकेगी। इसी तरह निष्पादन संतोषजनक नहीं होने के स्थिति में संविदा विखंडित की जा सकेगी।

5. **कार्यान्वयन के ढंग**—

5.1 जहाँ संभव हो, सम्भाव्य पथ संरचनाओं के विकास, निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु जन–निजी–भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) ढंग अपनायी जाएगी। Concessionaire के चयन हेतु निम्नलिखित जन–निजी–भागीदारी के ढंगों में कोई अंगीकार किया जा सकेगा:—

(i) Design built finance operate & transfer (DBFOT) अथवा

(ii) BOT Toll अथवा

(iii) BOT Toll+Annuity अथवा

(iv) BOT Annuity एवं तद्नुसार कार्य सम्पादित किया जाएगा।

5.2 प्रारम्भिक आकलन के आधार पर, जन निजी भागीदारी प्रणाली में संभाव्य पथ संरचनाओं के अनुरक्षण हेतु Operate Maintain and Transfer (OMT) पद्धति लागू की जा सकेगी। ऐसी पथ संरचनाओं के अनुरक्षण एवं Corridor Improvement आदि के लिए OMT के अधीन एक निश्चित अवधि तथा पूर्व निर्धारित Toll rate पर Concessionaire का चयन किया जा सकेगा।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जन–निजी–भागीदारी पद्धति के अधीन पथों का अनुश्रवण एवं अनुरक्षण के लिए Operate, Maintain and Transfer (OMT) के आधार पर Concessionaire की नियुक्ति हेतु, तैयार Model Document अंगीकार की जाएगी। Concessionaire को सरकार द्वारा अधिसूचित Toll Rate के आधार पर Toll वसूलने, पथों का अनुरक्षण एवं रख–रखाव करने तथा अपनी आय में से एक निर्धारित राशि राज्य सरकार को देने का प्रावधान भी इसी मानक document के आधार पर किया जाएगा। इस Model Document को आवश्यकतानुसार संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा।

5.3 प्रारम्भिक आकलन के आधार पर, संभाव्य पथ आस्तियों का जन–निजी–भागीदारी प्रणाली में अनुरक्षण कार्य के लिए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड क्रियान्वयन एजेन्सी होंगे। Project Development Consultant (PDC) की फीस का भुगतान, इन निगमों को देय एजेंसी चार्ज की राशि से किया जायेगा।

6. उपरोक्त मॉडल के अधीन अनाच्छादित पथ संरचनाओं के अनुरक्षण कार्यों का निष्पादन विभाग के अधीन कार्य प्रमंडलों के माध्यम से, उपबंधित बजटीय राशि से, किया जायेगा।

7. **अनुरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देशों का गठन**—इस नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किये जाएँगे । इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में वार्षिक अनुरक्षण कार्यक्रम के निष्पादन में सहायता के लिए आवश्यक पद्धति एवं प्रक्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार की अनुरक्षण गतिविधियों के प्रबंधन का विस्तृत ब्योरा अंतर्विष्ट रहेगा ।

मार्गदर्शक सिद्धांतों में, किये जाने वाले अनुरक्षण कार्यों से संबंधित उद्देश्य एवं अपेक्षाएँ अंतर्विष्ट होंगी । मार्गदर्शक सिद्धांतों में संसाधनों के प्रभावकारी एवं फलोत्पादक उपयोग हेतु उपाय तथा विभिन्न अनुरक्षण कार्यों के लिए रीति भी अन्तर्विष्ट होगी ताकि उनका उपयोग समुचित ढंग से किया जा सकेगा। मार्गदर्शक सिद्धांतों में विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों के उत्तरदायित्व एवं कृत्य विहित किये जाऐंगे। संविदा–प्रबंधन की विभिन्न रीतियाँ, सड़क सुरक्षा, गुणवत्ता सुनिश्चितिकरण, अनुरक्षण, संरक्षण, तकनीकी मानदण्ड, अनुरक्षण गतिविधियों का अंतराल, अनुरक्षण की प्रत्येक गतिविधि के लिए Service level, permissible tolerance, maximum response time तथा reduction in payable amount for non compliance का विस्तृत विवरण और अनुरक्षण संविदाओं के प्रबंधन के सामान्य नियम दिशा निर्देशों में अंतर्विष्ट होंगे। मार्गदर्शक सिद्धांतों में, अनुभवों के आधार पर, यथा आवश्यक संशोधन पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

8. **विवादों का निपटारा**–संविदा के अधीन उत्पन्न विवाद / विवादों का निपटारा Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008 के अधीन किया जायगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/2

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः–प्र08/बैठक–02–35/2010– 1335 (S) पटना, दिनांक 21.2.13

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/2

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः–प्र08/बैठक–02–35/2010– 1335 (S) पटना, दिनांक 21.2.13

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः–प्र08 / बैठक–02–35 / 2010– 1335 (S) पटना, दिनांक 21-2-13

प्रतिलिपि–सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः–प्र08 / बैठक–02–35 / 2010– 1335 (S) पटना, दिनांक 21.2.13

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना / प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉ0 लि0, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः–प्र08 / बैठक–02–35 / 2010– 1335 (S) पटना, दिनांक 21.2.13

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।